भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1866
30 जुलाई,2026 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई के अंतर्गत सहायता प्रदत्त सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम

1866**. श्री भारत सिंह कुशवाह:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के तहत सहायता प्राप्त सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की संख्या कितनी है तथा देश भर में वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधि आवंटित/जारी की गई है;

(ख) उक्त योजना के मुख्य उद्देश्य और प्राथमिकताएं क्या हैं तथा इस योजना के तहत ऋण-लिंक्ड राजसहायता, आरंभिक पूंजी, ब्रांडिंग, विपणन, लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहायता, रोजगार सृजन, उद्यम औपचारीकीकरण, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मूल्य संवर्धन और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए सहायता सहित प्रदान की जाने वाली ऋण-आधारित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) लाभार्थियों की किन श्रेणियों को, जैसे कि- व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, स्व-सहायता समूह, कृषक उत्पादक संगठन और सहकारी समितियां, लाभ प्रदान किया जाता है और इसके लिए उनकी पात्रता क्या है; और

(घ) अब तक कितने लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया है और देश भर में स्वीकृत ऋण, राजसहायता और अन्य वित्तीय सहायता का राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर में 1,62,044 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 3366.24 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा आवंटित/जारी किए गए है। वर्ष-वार और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया हैं।

(ख) और (ग) पीएमएफएमई योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित्त किया जा रहा है। इस योजना के उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ऋण तक बढ़ी हुई पहुंच, ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत करके संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण, सामान्य सेवाओं तक बढ़ी हुई पहुंच, संस्थानों का सुदृढ़ीकरण और अनुसंधान और प्रशिक्षण के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों की क्षमता का निर्माण करना है।

यह योजना पात्र सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को प्रारंभिक पूंजी सहायता, उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (ईडीपी) और उत्पाद-विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए सहायता और प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग, परीक्षण और इनक्यूबेशन सुविधाओं जैसी सामान्य अवसंरचना के लिए

सहायता प्रदान करती है। पात्र संस्थाओं सहित, योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता का विवरण, **अनुबंध-II** में दिया गया है।

यह योजना जिला-विशिष्ट खाद्य प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करके, प्रौद्योगिकी अपनाने में सुविधा प्रदान करके, खुदरा, ई-कॉमर्स और संस्थागत खरीदारों के साथ जुड़ाव के माध्यम से बाजार तक पहुंच में सुधार करके और एकत्रीकरण तथा प्रसंस्करण के लिए साझा अवसंरचना बनाकर कृषि उत्पादों में मूल्य वर्धन को और बढ़ावा देती है। ये अन्तःक्षेप उद्यम के औपचारिकीकरण, उद्यमिता विकास और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों के सृजन में योगदान करते हैं।

(घ) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार उन लाभार्थियों की संख्या, जिन्होंने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के साथ अनुमोदित सब्सिडी और प्रारंभिक पूंजी सहायता का लाभ उठाया है, **अनुबंध-III** में दी गई है।

अनुबंध-I

लोकसभा में दिनांक 30जुलाई, 2026 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई के अंतर्गत सहायता प्रदत्त सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम " के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 1866 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार और वर्ष-वार स्वीकृत ऋण तथा केंद्रीय हिस्से की निधियों का आवंटन

		स्वीकृत ऋण (संख्या)			जारी/आवंटित केंद्रीय हिस्सा निधि (करोड़ रु. में)		
क्र.सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	0	0	0.38	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	2237	1667	2690	46.25	10.91	69.00
3	अरुणाचल प्रदेश	28	48	132	11.09	8.00	10.00
4	असम	633	1769	3129	43.88	68.50	60.00
5	बिहार	10284	10273	7972	88.65	101.50	159.00
6	चंडीगढ़	0	0	0	0.31	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	350	396	841	7.69	10.00	16.70
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	5	0	1	0.00	0.00	0.00
9	दिल्ली	103	74	76	0.50	4.25	1.63
10	गोवा	23	36	52	2.08	2.50	3.00
11	गुजरात	286	314	1048	7.02	15.00	21.10
12	हरियाणा	606	352	558	11.25	25.00	25.00
13	हिमाचल प्रदेश	550	496	973	57.12	4.00	29.67
14	जम्मू और कश्मीर	480	682	1125	2.68	25.75	6.28
15	झारखंड	1527	1851	1633	9.79	20.00	23.42
16	कर्नाटक	2011	2329	3417	27.76	60.00	90.00
17	केरल	2573	3116	3001	29.52	40.00	75.00
18	लद्दाख	33	17	19	0.36	3.00	1.50
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	2692	5103	6104	44.97	78.04	111.91
21	महाराष्ट्र	9493	7546	6781	120.00	195.20	170.00
22	मणिपुर	13	31	28	0.00	0.00	5.00
23	मेघालय	44	120	76	1.00	7.25	10.00
24	मिजोरम	13	20	46	0.00	0.00	10.00
25	नागालैंड	155	188	133	3.97	3.75	10.00
26	ओडिशा	627	731	1603	15.46	21.86	40.00
27	पुदुच्चेरी	54	51	53	2.46	3.00	1.35
28	पंजाब	1183	525	672	30.65	87.80	50.00
29	राजस्थान	242	513	612	16.98	8.50	25.00
30	सिक्किम	20	8	9	0.91	7.50	10.00
31	तमिलनाडु	7666	3587	3744	72.00	100.00	114.01
32	तेलंगाना	3500	1136	760	15.40	60.00	56.75
33	त्रिपुरा	63	77	166	1.13	3.75	10.00
34	उत्तर प्रदेश	6654	7449	8224	79.55	150.00	200.00
35	उत्तराखंड	416	221	348	8.24	15.00	10.00
36	पश्चिम बंगाल	22	149	549	6.28	2.50	33.07

		स्वीकृत ऋण (संख्या)			जारी/आवंटित केंद्रीय हिस्सा निधि (करोड़ रु. में)		
क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2023-24	2024-25	2025-26	2023-24	2024-25	2025-26
	कुल	54594	50875	56575	765.30	1142.56	1458.39

अनुबंध-II

लोकसभा में 30जुलाई, 2026 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई के अंतर्गत सहायता प्रदत्त सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम " के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 1866 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

(i). व्यक्तिगत / समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता: *पात्र* परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजीगत सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रु. प्रति इकाई;

पात्र इकाइयाँ: व्यक्तिगत उद्यमी/ मालिकाना फर्में/ साझेदारी फर्में/ किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/ गैर-सरकारी संगठन/ सहकारी/ स्व-सहायता समूह (एसएचजी)/ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ

(ii) प्रारम्भिक पूंजी के लिए एसएचजी को सहायता: कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए **खाद्य प्रसंस्करण में लगे एसएचजी** के प्रति सदस्य को 40,000 रुपये की की दर से प्रारम्भिक पूंजी जो अधिकतम 4 लाख रुपये प्रति एसएचजी फेडरेशन के अध्धयीन है।

(iii) सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता सामान्य अवसंरचना की स्थापना के लिए **एफपीओ, एसएचजी**, **सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी** का सहायता करने के लिए 35% की दर से अधिकतम 3 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी। सामान्य अवसंरचना अन्य इकाइयों और जनता के लिए भी उपलब्ध होगी ताकि वे पर्याप्त भाग का क्षमता के भाड़े के आधार पर उपयोग कर सकें।

(iv) ब्राडिंग और विपणन सहायता*:* **एफपीओ / एसएचजी / सहकारी समितियों के समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी** को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक का अनुदान।

(v). क्षमता निर्माण: इस योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संशोधित उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी) कार्यक्रम तथा **जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान प्राप्त करने के लिए अनुशंसित सभी आवेदकों तथा प्रारंभिक पूंजी एसएचजी लाभार्थियों** के लिए उत्पाद-विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण का प्रावधान है।

अनुबंध-III

लोकसभा में 30जुलाई, 2026 को उतार हेतु "पीएमएफएमई के अंतर्गत सहायता प्रदत्त सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम " के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 1866 के भाग (घ)के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

		क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी		प्रारंभिक पूंजी	
क्र.सं.	**राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र**	**स्वीकृत ऋण(संख्या)**	**अनुमोदित सब्सिडी (करोड़ रुपए में)**	**एसएचजी सदस्य (संख्या)**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18	1.03	114	0.43
2	आंध्र प्रदेश	9922	166.69	45842	173.12
3	अरुणाचल प्रदेश	254	17.22	4383	13.98
4	असम	6534	74.91	34915	105.34
5	बिहार	32100	753.01	24636	87.70
6	चंडीगढ़	5	0.21	0	0.00
7	छत्तीसगढ़	1941	84.04	10914	14.13
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	12	0.42	13	0.02
9	दिल्ली	363	10.00	0	0.00
10	गोवा	157	6.12	2077	7.77
11	गुजरात	1949	124.24	7185	18.39
12	हरियाणा	1989	129.02	1675	6.10
13	हिमाचल प्रदेश	2826	70.39	15602	58.67
14	जम्मू और कश्मीर	2704	58.01	1694	6.18
15	झारखंड	5442	114.29	6159	20.72
16	कर्नाटक	10289	393.97	19054	74.91
17	केरल	9865	265.16	6802	21.49
18	लद्दाख	104	5.14	651	1.82
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	15946	538.80	15259	48.54
21	महाराष्ट्र	31236	923.43	59403	212.97
22	मणिपुर	318	22.01	1024	3.72
23	मेघालय	269	4.78	5725	18.13
24	मिजोरम	91	3.56	2641	10.11
25	नागालैंड	509	9.14	6165	15.30
26	ओडिशा	3921	117.63	34207	102.02
27	पुदुच्चेरी	231	5.45	1986	7.68
28	पंजाब	3506	298.05	1404	4.36
29	राजस्थान	1786	104.13	7857	27.03
30	सिक्किम	76	2.12	2832	11.29
31	तमिलनाडु	19328	463.51	36697	141.42
32	तेलंगाना	7826	119.81	29973	117.32
33	त्रिपुरा	380	10.14	5209	19.95
34	उत्तर प्रदेश	26465	972.27	8511	25.97
35	उत्तराखंड	1258	39.96	9349	31.27
36	पश्चिम बंगाल	801	45.92	8335	30.44
	कुल	**200421**	**5954.57**	**418293**	**1438.29**